मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्रियों एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिव के साथ दिनांक 09/02/2026 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण-

--00--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में **दिनांक 09/02/2026 को प्रातः 10.30 बजे** से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल स्थित सभाकक्ष में समय-सीमा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिवों द्वारा वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में समीक्षा उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिए गए:-

(01) **विधान सभा प्रश्नों के उत्तर भेजने संबंधी समीक्षा**:-

विधान सभा बजट सत्र् फरवरी-मार्च, 2026 के मण्डी बोर्ड में कुल 31 विधान सभा प्रश्न एवं 01 शून्यकाल सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें से तारांकित प्रश्न क्रमांक 154, 215, 217, 237, 258, 358, 480, 504, 891, 278 एवं अतारांकित प्रश्न क्रमांक 228, 268, 617 के उत्तर शासन को ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित किए गए हैं। शेष तारांकित प्रश्न क्रमांक 1272, 2130, 2212, 2270, 2703 एवं अतारांकित प्रश्न क्रमांक 309, 1273, 1678, 1693, 1704, 1733, 1757, 2001, 2178, 2406, 2614, 2618, 2619 की समीक्षा उपरांत दिनांक 11/02/2026 तक सभी विधान सभा प्रश्नों के उत्तर प्रबंध संचालक से अनुमोदित कराकर शासन को ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

(02) **विधान सभा प्रश्नों पर निर्मित आश्वासनों की समीक्षा**:-

मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के लंबित 40 विधान सभा आश्वासनों की समीक्षा में नियमन शाखा के 18 आश्वासनों में से 06 आश्वासनों की अद्यतन निराकरण की स्थिति से अवगत कराया जा चुका है तथा 11 आश्वासनों पर कार्यवाही प्रचलित है। इसमें कृषि उपज मण्डी समिति कटनी के लंबित लेखा-सत्यापन एवं बकाया निराश्रित शुल्क रिकवरी से संबंधित 06 आश्वासन लंबित है, जिसके संबंध में संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर को शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ कटनी मण्डी के लंबित लेखा-सत्यापन हेतु दल बनाया जावे, जिसमें जबलपुर संभाग के कर्मचारियों के स्थान पर मण्डी बोर्ड, भोपाल एवं आस-पास

की मण्डियों के अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे। सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित आश्वासनों की प्रगति प्रस्तुत करने एवं निराकरण की स्थिति का पालन प्रतिवेदन शासन को ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(03) <u>भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत सरसों खरीदी की समीक्षा</u>:-

आगामी भावांतर भुगतान योजना में सरसों की खरीदी पर चर्चा की गई तथा विशेष रूप से संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर एवं सागर संभाग के साथ ही सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय को निर्देशित किया गया कि सरसों की बोनी एवं उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर बिक्री कार्य-योजना तैयार की जावे और मण्डियों में गत वर्षो में सरसों की आवक को दृष्टिगत रखते हुए मण्डीवार समीक्षा कर सरसों के आवक, क्रय-विक्रय की कार्य-योजना तैयार की जावे। संयुक्त संचालक(नियमन) को निर्देशित किया गया कि भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत सरसों की रिसाईकलिंग पर सख्ती से रोक लगाने, एफ.ए.क्यू. सेम्पल क्वॉलिटी के मापदण्ड, समर्थन मूल्य एवं मॉडल भाव निर्धारण संबंधी प्रक्रिया, वास्तविक हितग्राहियों को योजना का लाभ देने, सिकमीनामा पर सरसों उत्पादकों को योजना का लाभ प्रदान नहीं करने, कन्ट्रोल रूम की स्थापना, मण्डी/उपमण्डी प्रांगण में सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की क्रियाशीलता तथा मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के स्तर से मण्डियों की खरीदी-बिक्री संबंधी मॉनिटरिंग हेतु बेवकॉस्टिंग आदि बिन्दुओं को शामिल करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जावे। जिन बिन्दुओं पर शासन से आदेश जारी होना है, उसका शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर प्रबंध संचालक को नस्ती प्रस्तुत की जावे।

(04) <u>भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत सोयाबीन के लंबित भुगतान की समीक्षा</u>:-

भावांतर भुगतान योजना के शेष भुगतान एवं तकनीकी समस्याओं का निराकरण एन.आई.सी. के माध्यम से कराने के पूर्व बैठकों में निर्देश दिए गए थे किन्तु समुचित प्रगति परिलक्षित नहीं होने पर प्रबंध संचालक द्वारा इस संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मण्डी बोर्ड की ई-मण्डी, ई-अनुज्ञा, ई-लाइसेंस, फार्मगेट एप/पोर्टल संबंधी तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु मण्डी बोर्ड, मुख्यालय में आई.टी. टीम गठित करने के लिए इसमें ऐसे सहायक उप निरीक्षक जो बी.ई. (सी.एस./आई.टी.) योग्यता धारित करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर आई.टी. टीम में शामिल किया जावे। इस संबंध में श्री प्रवीण वर्मा, उप संचालक(स्थापना) एवं श्री योगेश नागले, सहायक संचालक(एम.आई.एस.) को आई.टी. टीम का प्रस्ताव तैयार कर प्रबंध संचालक को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(05) <u>सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा</u>:-

सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतों की संभागवार समीक्षा करने पर एल-1 पर 896, एल-2 पर 681, एल-3 पर 2442, एल-4 पर 110 इस प्रकार कुल 4129 शिकायतें पेंडिंग पाई गई जिसमें से भावांतर भुगतान योजना से संबंधित एल-1 पर 813, एल-2 पर 637, एल-3 पर 1923, एल-4 पर 39 इस प्रकार कुल 3412 शिकायतें पेंडिंग पाई गई। भावांतर भुगतान योजना की चतुर्थ चरण की राशि का भुगतान हो चुका है, तदनुसार संभागवार लंबित सी.एम. हेल्पलाइन की सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समीक्षा कर योजना के नियम निर्देशों के तहत शिकायतों का निराकरण पोर्टल पर दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया।

वर्ष 2019 से 2024 तक की लंबित सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा करने पर वर्ष 2019 की 01, वर्ष 2020 की 01, वर्ष 2021 की 04, वर्ष 2022 की 06, वर्ष 2023 की 04 एवं वर्ष 2024 की 11 इस प्रकार कुल 27 सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतें लंबित पाई गई। इन पर वन-टू-वन संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों से चर्चा की गई तथा दिनांक 12.02.2026 को मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल में आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालकों की आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में निराकरण का अद्यतन प्रतिवेदन लाने के निर्देश दिए गए।

(06) <u>वित्त प्रबंधन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा</u>:-

1. वित्त प्रबंधन की समीक्षा में निर्देश दिए गए कि राज्य मण्डी बोर्ड सेवा एवं मण्डी समिति सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को रिटायरमेंट दिनांक को ही अनिवार्यतः पी.पी.ओ. (पेंशन, अदायगी आदेश) प्रदाय किये जाने की व्यवस्था की जावे। मण्डी समिति सेवा के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की जानकारी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त की जावे तथा प्रतिवर्ष जनवरी माह में यह जानकारी संकलित कर ली जावे तथा सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति दिनांक को पी.पी.ओ. आदेश, अवकाश नकदीकरण, ग्रेज्युटी एवं सामान्य भविष्य निधि की राशि का भुगतान किये जाने की व्यवस्थाएं बनायी जावे। अपर संचालक(वित्त) को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

2. कृषि उपज मण्डियों के वर्ष 2024-25 का वार्षिक आय-व्यय के ब्यौरा, बैलेंस शीट चार्टर्ड एकाउंटेंट से तैयार कराने संबंधी कार्यवाही की समीक्षा की गई एवं सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों को 03 दिवस में अद्यतन प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। 'क' एवं 'ख' प्रवर्ग की मण्डियों का वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट एवं वर्ष 2025-26 अनुपूरक बजट की स्वीकृति की कार्यवाही

के संबंध में अपर संचालक(वित्त) को निर्देश दिए गए। सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने संभाग अंतर्गत 'ग' एवं 'घ' प्रवर्ग की मण्डियों के वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट एवं वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट की समीक्षा कर समयावधि में स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए पालन प्रतिवेदन मण्डी बोर्ड,भोपाल को भेजा जावे।

(07) **मण्डियों की रैंकिंग:-**

मण्डियों की रैंकिंग के संबंध में चर्चा उपरांत निर्देशित किया गया कि 'क, 'ख, 'ग' ए 'घ' प्रत्येक प्रवर्ग की मण्डियों को 03 चरणों में परखा जावे जिसमें रैंकिंग के निर्धारित मापदण्ड की समीक्षा, मण्डियों के आय-आवक की समीक्षा, ई-मण्डी, ई-नेम, एम.पी. फार्मगेट एप आदि डिजीटाईजेशन संबंधी कार्यों की समीक्षा कर रैंकिंग का निर्धारण करते हुए प्रबंध संचालक के अनुमोदन के लिए नस्ती प्रस्तुत की जावे। अप्रैल, 2026 से पूर्व सभी कृषि उपज मण्डियों की रैंकिंग जारी करने के निर्देश दिए गए।

(08) **उच्च पद का प्रभार एवं सचिव पद की पूर्ति की समीक्षा:-**

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब एक मण्डी सचिव एक मण्डी के सिद्धांत पर यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी सचिव/प्रभारी सचिव के पास एक से अधिक मण्डी को प्रभार ना रहे। उपमण्डियों की कमांड अब मण्डी निरीक्षकों को सौंपी जावे तथा मण्डी/उपमण्डी प्रांगण में ई-मण्डी योजना का संचालन शत-प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें। सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय अपने-अपने संभाग में इसकी समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(09) **eHRMS पोर्टल तथा सार्थक एप की समीक्षा:-**

eHRMS पोर्टल पर 4856 अधिकारी/कर्मचारियों की डॉटा एन्ट्री की जा चुकी है, जिसमें से 4387 डॉटा ऑनबोर्डिंग प्रदर्शित हो रहे हैं। **eHRMS** पोर्टल पर कृषि उपज मण्डी गुना-12, मुंगावली-09, डबरा-17, हरसूद-13, करेली-29, कटनी-40, निवाड़ी-13, सागर-39, लोहार्दा-17, महिदपुर-30, सोनकच्छ-09, उन्हेल-09 अधिकारी/कर्मचारियों का अप्रूवल शेष है। इस संबंध में संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर एवं सागर से जानकारी प्राप्त की गई एवं तकनीकी सलाहकार को **EIC** एवं **EIO** की डुप्लीकेट क्रिएशन की तकनीकी समस्या का निराकरण करने तथा संभागवार, मण्डीवार वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर पोर्टल पर डॉटा एन्ट्री में आ रही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश

दिए गए। सार्थक एप पर उपस्थिति की समीक्षा की गई तथा इसे शत-प्रतिशत प्रभावशील करने के निर्देश दिए गए।

(10) <u>अन्य बिन्दु</u> :-

- अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के संबंध में सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों को आवश्यक छानबीन कर 03 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर को कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर की आय में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।
- सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मण्डियों की आय-आवक में वृद्धि करने तथा गठित उड़नदस्ता दलों के माध्यम से अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
- भावांतर भुगतान योजना, सी.एम. हेल्पलाइन, आय-आवक, लेखा-सत्यापन, लंबित शिकायत जांच, विभागीय जांच, अतिक्रमण, स्वामित्व नामांतरण, विधान सभा सत्र् फरवरी-मार्च, 2026 के प्रश्नों, लंबित आश्वासनों से संबंधित विषयों को एजेण्डा में शामिल करते हुए समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय की मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 12/02/2026 को मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल में आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

समय-सीमा के प्रकरणों की प्रकरवार समीक्षा की गई एवं पूर्ण कार्यवाही वाले प्रकरणों को समय-सीमा पत्रों की सूची से विलोपित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/फरवरी/2026/ 2394 भोपाल, दिनांक 13/02/2026

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक(वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री(समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/सहायक यंत्री(समस्त)म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय(समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन बिन्दुवार तैयार कर 07 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग-भोपाल संभाग क्र-1/भोपाल संभाग क्रं.-2/होशंगाबाद(नर्मदापुरम)/इंदौर/खरगौन/उज्जैन/मंदसौर/ग्वालियर/मुरैना(चम्बल)/सागर/जबलपुर/सिवनी/रीवा।
8. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

Digitally signed by
Kumar Purushottam
Date: 12-02-2026
18:25:57

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल